प्रेस विज्ञप्ति

11.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10.07.2025 को क्योंझर और भुवनेश्वर में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी सौम्य शंकर चक्र उर्फ राजा चक्र के आवासीय और कार्यालय परिसरों और उनसे संबंधित संस्थाओं में ली गई।

यह कार्रवाई गंधमर्दन लोडिंग एजेंसी एंड ट्रांसपोर्टिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, क्योंझर से सरकारी धन के बड़े पैमाने पर हुए गबन के परिप्रेक्ष्य में धन शोधन जाँच के रूप में की गई। यद्यपि सोसायटी की स्थापना ओएमसी खदानों से लौह अयस्क के परिवहन के माध्यम से इसके सदस्यों की सहायता करने के लिए की गई थी, लेकिन इसे कथित तौर पर सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत करके चक्र द्वारा इसे धन की हेराफेरी के एक मोर्चे में बदल दिया गया।

अब तक, जाली अभिलेखों, कार्य आदेशों में हेराफेरी, और क्षेत्रीय (परिधीय) विकास, ईंधन और परिवहन जैसे शीर्ष के अंतर्गत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए/फर्जी खर्चों के ज़रिए (लगभग) 40 करोड़ रुपये की हेराफेरी का पता चला है। यद्यपि चक्र सोसायटी का पदाधिकारी नहीं था, लेकिन जांच से पता चला कि वह सोसायटी पर अत्यधिक प्रभाव रखता था और सोसायटी के दिन-प्रतिदिन के निर्णयों को नियंत्रित करता था।

तलाशी के दौरान चक्र और उनकी बेनामी संस्थाओं के स्वामित्व की पंजीकरण संख्या '21' पर समाप्त होने वाले लगभग 50 वाहनों की पहचान की गई है जिनका इस्तेमाल अवैध खनन और परिवहन के लिए किया जाता था। यह पाया गया कि ये वाहन अपराध से अर्जित आय (पीओसी) से खरीदे गए थे और आगे पीओसी बनाने में इस्तेमाल किए गए थे।

प्रवर्तन निदेशालय राजा चक्र के शराब कारोबार में अवैध धन के हेरफेर की भी जाँच कर रहा है, जिसका लाइसेंस उनकी पत्नी श्रीमती रूपाली पटनायक के नाम पर है। तलाशी कार्रवाई से पता चला कि शराब की दुकान चलाने का लाइसेंस रूपाली पटनायक के नाम पर होने के बावजूद, शराब की बिक्री पर प्राप्त भुगतान परिवार के अन्य सदस्यों के खातों में प्राप्त होता था।

तलाशी के दौरान, चक्र के कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तलाशी के दौरान कई अपराध संकेती दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए गए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है।

आगे की जांच जारी है।